

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/एस-3825/2023/370 दिनांक : 8/11/23

--: आदेश :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीडवाना-कुचामन) के पत्र 226 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति संख्या 20/2023-2024 दिनांक 05.05.2023 एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ-(01)बजट ६ गोषणा/2023-24/बीसीएमओ(39)/योजना/2023/416 दिनांक 11.05.2023 के अनुसारण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नावां सिटी (डीडवाना-कुचामन) के आदेश क्रमांक 186 दिनांक 05.10.2023 की पालना में डॉ. सौरभ जैन, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के द्वारा नवगठित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नावां सिटी (डीडवाना-कुचामन) के पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

अतः डॉ. सौरभ जैन, को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नावां सिटी (डीडवाना-कुचामन) कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 8/11/23

क्रमांक : ई/चिअ/एस-3825/2023/370

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन ।
3. कोषाधिकारी सम्बन्धित।
4. डॉ. सौरभ जैन, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नावां सिटी (डीडवाना-कुचामन)
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

6. लॉकर रूम मुख्यालय राजस्थान जयपुर
31/10/23 को प्रेषित किया गया है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
4940618

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :31-10-2023 04:33:41